"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 319] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 दिसम्बर 2005 — अग्रहायण 29, शक 1927

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर, 2005 (अग्रहायण 29, 1927)

क्रमांक - 14246/विधान/2005.— छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 24 सन् 2005), जो दिनांक 20 दिसम्बर, 2005 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 24 सन् 2005)

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2005

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1961) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 2005 है.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 48 - ख का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 48 - ख की उपधारा (1) में शब्द " छ : माह " के स्थान पर शब्द " यथा संभव शीघ्र " प्रतिस्थापित किया जाए.

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 48 - ख में नगरीय शासन में जनभागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से मोहल्ला समितियों के गठन का प्रावधान स्थापित है. उक्त अधिनियम, 1956 की धारा 48 - ख में संशोधन किया गया जिसमें धारा 48 - ख की उपधारा (1) में निगम के प्रथम सम्मिलन की तिथि के छ : माह के भीतर मोहल्ला समितियाँ गठित करने के लिये समयावधि निर्धारित है.

2. कई नगर पालिक निगमों में प्रथम सम्मिलन की तिथि के छ : माह के अवधि में मोहल्ला समितियों का गठन नहीं हो सका अत: विधि पूर्ण रूप से मोहल्ला समितियों के गठन के उद्देश्य से यह आवश्यक हो गया है कि अधिनियम की धारा 48 - ख की उपधारा (1) में संशोधन किया जावे.

3. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है

रायपुर
तारीख 14 - 12 - 2005.

अमर अग्रवाल
नगरीय प्रशासन
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) का सुसंगत उद्धरण :-

* *

धारा 48 - ख - उपधारा. मोहल्ला समितियों का गठन तथा उनकी संरचना

(1) प्रत्येक नगर पालिक निगम के निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सम्मिलन की तिथि से छ : माह के भीतर मोहल्ला समितियों का गठन किया जाएगा.

(2) मोहल्ला समितियों की संख्या और उनके प्रादेशिक क्षेत्र का अवधारण, सदस्यों की संख्या तथा समितियों के कृत्य, शक्तियां और कार्य संचालन ऐसी रीति से होंगी, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाए.

* *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2005